IJAER/July-August 2023/Volume-12/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

दुर्गा प्रसाद
रिसर्च स्कॉलर (राजनीति विज्ञान),
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

शोध आलेख सार -: भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है।

शासन की सर्वोच्च स्तर की शासन व्यवस्था तब तक मजबूत नहीं मानी जा सकती है जब तक उसके निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएं मजबूत न हों।

स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों से मालूम होता है कि पंचायती राज संस्थाएं वैदिक काल से ही विद्यमान थी। वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी और प्रमुख इकाई को "ग्राम गणराज्य" कहा जाता था। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की तृणमूल स्तर की इकाई हैं। भारत में संवैधानिक रूप से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत "73 वें संविधान संशोधन अधिनियम - 1992" सेa हुई है। इसके स्वरूप, विभिन्न स्तरों पर आए बदलावों व क्रियान्वयन आदि विषयों पर इस शोध पत्र के माध्यम से प्रकाश डालेंगे।

मूल शब्द -: लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आरक्षण, पंचायती राज, सामाजिक कल्याण, विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकार।

शोध प्रविधि -: शोधार्थी ने शोध पत्र तैयार करने में ऐतिहासिक विश्लेषण, वर्णनात्मक विधि के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी स्थान दिया है।

शोध सामग्री -: शोधार्थी ने शोध सामग्री एकत्रित करने में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया तथा द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत इंटरनेट, पुस्तकें, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जर्नल्स एवं ई-जर्नल्स और सरकारी दस्तावेजों का प्रयोग किया है।

प्रमुख बिंदु -: शोध पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता से स्थान दिया गया है -

- पंचायती राज व्यवस्था एवं उससे संबंधित आयोग
- 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम - 1992
- पंचायती राज संस्थाओं की उपयोगिता एवं महत्व
- उत्तराखण्ड के पंचायती राज संस्थान एवं उनकी कार्यप्रणाली
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम में किए गए बदलाव

परिचय -: भारत में पंचायती राज की शुरुआत ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल (1880-84) से हुई। लॉर्ड रिपन 1882 में एक प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसमें भारतीयों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार देने की बात कही गई थी। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव में कहा गया था कि स्थानीय स्वशासन की योजना उन नगरपालिका संस्थानों का विकास करेगी जो ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में थे।

भारत गाँवों का देश है और इसकी ज्यादातर आबादी गाँवों में निवास करती है। गाँधी जी का कहना था कि शहरों में लोग निवास करते हैं, जबकि गाँवों में देवता निवास करते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कहना था कि भारत की उन्नति एवं प्रगति का रास्ता गाँवों से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान निर्माता भी जानते थे कि गाँवों का उद्धार किए बिना देश का उद्धार करना बेहद कठिन है।

पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आम आदमी स्थानीय स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में भाग लेता है। पंचायती राज व्यवस्था में आम आदमी नीति निर्धारण में हिस्सेदार होता है, चूंकि पंचायतें आम आदमी से ही मिलकर बनती है। पंचायती राज व्यवस्था भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पहचान देती है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में शक्तियों का जमावड़ा नहीं बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। पंडित नेहरू का कहना था कि यदि भारत की आजादी को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को आधिकारिक रूप से शक्तियाँ प्रदान करनी होगी। भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। पंडित नेहरू पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि ग्रामवासियों को अधिकार सौंपकर सत्ता में भागीदार बनाया जाए। पंडित नेहरू लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते थे। इसीलिए वे ग्रामीणों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना चाहते थे।

पंचायती राज व्यवस्था का ध्येय मिलजुलकर सबका विकास अर्थात सम्पूर्ण समुदाय का विकास करना है। इसीलिए पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस कार्यक्रम से आम जनता नहीं जुड़ पाई। आम जनता को ये महसूस हुआ कि ये कार्यक्रम केवल एक सरकारी खानापूर्ति मात्र है।

जब सरकार को महसूस हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन सम्पूर्ण देश में ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने वर्ष 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की। इन दोनों कार्यक्रमों के मूल्यांकन, सफल संचालन एवं इन कार्यक्रमों हेतु जनसहयोग जुटाने के लिए सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने नवम्बर 1957 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर होने चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए।

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ 1 नवम्बर 1959 से यह व्यवस्था लागू कर दी। फिर धीरे-धीरे इस व्यवस्था का विस्तार भारत के लगभग सभी राज्यों में होने लगा। अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया, जबकि कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था दो स्तरों में विद्यमान है।

आगे के वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया।

- अशोक मेहता समिति (1977)
- जी० वी० के० राव समिति (1985)
- एल० एम० सिंघवी समिति (1986)
- पी० के० थुंगन समिति (1988)

अंततः वर्ष 1992 में कांग्रेस की पी० वी० नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान में 73 वां संसोधन पारित कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज प्रणाली को सम्पूर्ण भारत मे लागू कर दिया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पूरे भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 (A) से लेकर अनुच्छेद 243 (O) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
73 वें संविधान संशोधन अधिनियम - 1992" में निहित प्रावधानों के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में दो स्तरीय (ग्राम स्तरीय एवं जिला स्तरीय) पंचायत का गठन किया जाएगा तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहाँ त्रिस्तरीय (ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर) पंचायत का गठन किया जाएगा।

ग्राम सभा -: ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की आधार शिला है। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके आधिकारिक तौर पर ग्राम सभा का गठन करती है। एक ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गाँव हो सकते हैं, जिस गाँव की आबादी सर्वाधिक होगी ग्राम सभा उसी गाँव के नाम से जानी जाएगी।
ग्राम सभा का जो वयस्क नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है अर्थात ग्राम सभा में गाँव के वे सभी सदस्य आते हैं जो बालिग होते हैं और जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। जो नागरिक प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है।
ग्राम सभा की बैठक में सामान्यतः ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत (पंचायत समिति) के सदस्य तथा पंचायत सचिव आदि भाग लेते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में चार सामान्य बैठकें करने का प्रावधान है। ये बैठकें त्रिमासिक आधार पर होनी चाहिए, परंतु ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की माँग पर ग्राम प्रधान 30 दिन के भीतर एक असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। समस्त बैठकों की अध्यक्षता ग्राम सभा का मुखिया अर्थात ग्राम प्रधान करता है। ग्राम सभा की कोई भी सामान्य बैठक किसी सार्वजनिक स्थान पर ही आयोजित की जा सकती है। ग्राम प्रधान या किसी अन्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के निजी आवास पर आहूत की गई बैठक अवैध मानी जाएगी।
ग्राम सभा की सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति अथवा कोरम ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग अथवा ग्राम सभा के कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
ग्राम पंचायत के वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करना, पंचायत समिति के द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करना, वर्तमान के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट पर अपने सुझाव देना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ

लेने हेतु सही पात्र व्यक्तियों का चयन करना, पंचायत समिति के सदस्यों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा ग्राम सभा की विभिन्न समस्याओं को पंचायत समिति के समक्ष रखना आदि ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य हैं।

ग्राम पंचायत -: ग्राम स्तर पर गठित होने वाली पंचायत को ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से भिन्न होती है। ग्राम सभा का तात्पर्य 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के समस्त वयस्क नागरिकों से है, जबकि ग्राम पंचायत में वो लोग आते हैं जिनका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग करते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

ग्राम प्रधान ग्राम सभा के साथ-साथ ग्राम पंचायत का भी अध्यक्ष होता है। वही समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के गाँवों या गाँवों के समूह में 500 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्रों के गाँवों या गाँवों के समूह में 1000 की आबादी होने पर संबंधित गाँव या गाँवों के समूह को ग्राम पंचायत घोषित कर सकती है। ग्राम पंचायत को पंचायत समिति भी कहा जाता है। ग्राम सभा का प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम सभा द्वारा चुने गए सभी सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम प्रधान और पंचायत समिति के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्देशन में कार्य करती है।

"73 वें संविधान संशोधन अधिनियम - 1992" के द्वारा पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायत का ये दायित्व है कि वह इन विषयों में शामिल लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा सामाजिक न्याय इत्यादि से जुड़े मामलों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करेगी तथा साथ ही ग्राम सभा की सामान्य बैठकों में ग्राम सभा सदस्यों को सरकार की सभी नीतियों और योजनाओं की जानकारी मुहैया कराएगी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। ग्राम सभा के प्रधान तथा उप-प्रधान ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं।

क्षेत्र पंचायत या प्रखंड स्तर -: त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। क्षेत्र पंचायत का नाम संबंधित विकास-खण्ड के नाम पर ही रखा जाता है। क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप-प्रमुख का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी होता है। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

कृषि में सुधार, भूमि विकास, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, बाजार एवं मेले तथा गरीबी उन्मूलन आदि को प्रोत्साहित करना क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य हैं।

जिला पंचायत -: प्रत्येक जनपद में एक जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत का नाम जिले के नाम पर रखा जाता है। पंचायती राज प्रणाली की जनपद स्तर पर सर्वोच्च संस्था जिला पंचायत ही है।

जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। जिला पंचायत का सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। जिला पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होता है।

जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

परिवार कल्याण, भूमि सुधार, पेय जल की व्यवस्था, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा ग्राम पंचायतों के क्रिया-कलापों का पर्यवेक्षण आदि जिला पंचायत के महत्वपूर्ण कार्य हैं।

राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज प्रणाली में किए गए बदलाव -: पंचायतों के चुनाव प्रत्येक राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न करवाए जाते हैं। पंचायतों की रेख-देख एवं उनका क्रियान्वयन करना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें निरन्तर सुधार की आवश्यकता है, ताकि ये संस्थाएं स्थानीय ग्रामीण आबादी के लिए कारगर साबित हों और स्थानीय आबादी इससे लाभान्वित हो। इसीलिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर पंचायती राज प्रणाली में कुछ संशोधन किए। वर्ष 2016 के पश्चात उत्तराखण्ड एवं हरियाणा आदि राज्यों की सरकारों द्वारा भी पंचायती राज व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए।

उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27 वें राज्य के रूप में किया गया है। उत्तराखण्ड भारत के उत्तर में स्थित एक हिमालयी राज्य है, जो 9 नवंबर 2000 से 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2007 से इस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखण्ड किया गया।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों हेतु "उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम - 1947" तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से संबंधित मामलों के लिए "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम - 1961" लागू था। "उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम - 2000" की धारा 86/87 के अधीन उक्त दोनों अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय संशोधनों के साथ वर्ष 2016 तक लागू रहे। वर्ष 2016 में उत्तराखण्ड सरकार ने "पंचायती राज अधिनियम - 2016" पारित किया, जो 4 अप्रैल 2016 से राज्य में लागू है। अतः वर्तमान समय में पंचायती राज प्रणाली की समस्त व्यवस्थाएं इसी अधिनियम के तहत संचालित होती हैं।

उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2019 एवं 2021 में "उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम - 2016" में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। उत्तराखण्ड में अब प्रधान पद के उम्मीदवार हेतु योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए, साथ ही उसकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था के उत्थान में ग्राम प्रधानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत गाँवों का देश है। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा तृणमूल स्तर पर स्थित है। ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा का प्रथम नागरिक होता है। सरकार के द्वारा ग्राम प्रधानों को कई महत्वपूर्ण अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, चूँकि ग्रामीण स्तर पर समस्त लोक कल्याणकारी कार्य ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में ही सम्पन्न होते हैं। ग्राम प्रधान ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें आहूत करने के साथ-साथ सभी बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। उसी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में समस्त विकास परियोजनाएं संचालित होती हैं। पंचायती राज से संबंधित समस्त दस्तावेजों का रख-रखाव ग्राम प्रधान की निगरानी में होता है। ग्राम प्रधान के पद पर बैठा व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है तो समस्त ग्रामीणों का जीवन व्यवस्थित हो सकता है।

इसीलिए उत्तराखण्ड सरकार ने "उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम - 2016" में संशोधन करके प्रधान पद के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आदि का निर्धारण किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची -:

i. एस- आर- माहेश्वरी (2017) - भारत में स्थानीय शासन] लक्ष्मी नारायण अग्रवाल] ASIN - B075S2CQ6G

ii. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी] नैनीताल (उत्तराखण्ड) - पंचायती राज की प्राथमिक जानकारी, प्रकाशन वर्ष - 2018, ISBN - 978-93-84813-58-1

iii. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड) - पंचायती राज की कार्य-प्रणाली, प्रकाशन वर्ष - 2018, ISBN - 978-93-84813-59-8

iv. अवंथा फाउंडेशन पुणे - उत्तराखण्ड में पंचायती राज संस्था (ग्राम पंचायतों के गठन, चुनाव, आयोजना तथा बजट), प्रकाशन वर्ष - 2016

v. भारतीय संविधान का 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम - 1992 (पंचायती राज), स्रोत - विकिपीडिया

vi. सरकारी गजट उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम - 2016, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष - 2016

vii. सरकारी गजट उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम - 2019, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष - 2019

viii. सरकारी गजट उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम - 2021, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष - 2021